

दिनांक 02.07.2025 (बुधवार) को सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों के साथ लंबित एवं महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

पुरातत्व निदेशालय

1. राजकीय सुरक्षित घोषित स्मारक गोलघर के बाहरी आवरण की रासायनिक विधि से साफ-सफाई तथा गोलघर एवं मॉरिसन भवन परिसर का समेकित रूप से सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदन के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार को भेजे गये प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के संदर्भ में विभागीय अभियंता को अविलम्ब भवन निर्माण विभाग जाकर समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया।
2. मधुबनी जिला अंतर्गत अवस्थित केन्द्रीय सुरक्षित पुरास्थल बलिराजगढ़ का सम्यक विकास एवं पुरास्थल को सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में अपेक्षित अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना के उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही बलिराजगढ़ पुरास्थल की ऐतिहासिक/पुरातात्विक महत्व से संबंधित प्रकाशन एवं इस पुरास्थल के अधिसूचना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।
3. उत्तरी बिहार अवस्थित मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण अवस्थित केन्द्रीय सुरक्षित घोषित पुरास्थलों को एक सर्किट के रूप में समायोजित करते हुए समेकित रूप से विकसित किये जाने हेतु व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार कराने का निदेश निदेशक, पुरातत्व को दिया गया। साथ ही इस संदर्भ में इन पुरास्थलों/स्मारकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करने का भी सुझाव दिया गया।
4. केन्द्रीय सुरक्षित घोषित स्मारक/पुरास्थल अशोक स्तम्भ, लौरिया के परिसर को राज्य सरकार द्वारा विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किये जाने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित करने का निदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना को दिया गया। इसी संदर्भ में यह भी सुझाव दिया गया कि यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के साथ पुरास्थल का विकास करना चाहती है तो इस दिशा में भी अग्रेतर कार्रवाई कर सकती है। किसी भी प्रकार से इसके शीघ्र संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
5. बिहार राज्य अवस्थित केन्द्रीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल/स्मारकों पर फिल्म की शूटिंग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियम से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना को दिया गया।
6. पूर्वी चम्पारण अवस्थित केन्द्रीय सुरक्षित घोषित स्मारक केसरिया स्तूप का समेकित रूप से उत्खनन, संरक्षण परिसर में रौशनी की व्यवस्था, उद्यान का विकास, चहारदिवारी की मरम्मती, पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा आदि के लिए एक साथ कार्य योजना तैयार कराते हुए समय सीमा का निर्धारण कर कार्य कराने हेतु सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।
7. दिनांक 18.06.2025 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक में विभागीय अभियंताओं को यह आदेश दिया गया था कि रोहतास जिला अवस्थित केन्द्रीय सुरक्षित घोषित स्मारक शेरशाह सूरी

का मकबरा के परिसर अवस्थित तालाब में जल की स्वच्छता एवं जल निकासी प्रणाली की जाँच कर प्रतिवेदन उपस्थापित करने का निदेश दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा आज तक जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित नहीं किया गया। इस पर सचिव महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर संबंधित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना के द्वारा नामित पदाधिकारी के संयुक्त तत्वाधान में स्थल की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित करने निदेश दिया गया।

8. पुरातत्व भवन के निर्माण हेतु संशोधित तकनीकी अनुमोदित नक्शा प्राप्त करने हेतु विभागीय अभियंता को लगातार भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को तकनीकी अनुमोदन हेतु अबतक भेजे गये प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लगातार समन्वय स्थापित करेंगे।
9. सारण जिला अवस्थित राजकीय सुरक्षित घोषित स्मारक/पुरास्थल करिंगा मकबरा के संरक्षण, सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य हेतु तैयार किये जा रहे कार्य योजना के संदर्भ में शुक्रवार को पी०पी०टी० प्रस्तुत करने हेतु वास्तुविद् से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया।
10. भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव में गंगा नदी में अवस्थित पुरास्थल का संग्रहालयाध्यक्ष, भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर एवं जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्थल निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
11. यूनेस्को अंतर्गत इन्टैजिवल कल्चरल हेरिटेज प्रोपर्टी में छठ पर्व को शामिल कराने हेतु छायाचित्र सहित विडियो डॉक्यूमेंट्री एवं डोजियर तैयार किये जाने हेतु परामर्शी का चयन किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।
12. बैठक के क्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्पष्ट रूप से यह निदेश दिया गया कि 21 जुलाई, 2025 से प्रारम्भ होने वाले बिहार विधान मंडल, मॉनसून सत्र से संबंधित प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय सीमा के अंदर सदन के पटल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संग्रहालय निदेशालय

13. नारद संग्रहालय के जर्जर भवन के संबंध में भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन को संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
14. चम्पारण सत्याग्रह संग्रहालय मुजफ्फपुर में विकास का कार्य योजना बनाने हेतु सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, मुजफ्फपुर को निदेश दिया गया साथ ही जिला पदाधिकारी, मुजफ्फपुर से विकास से संबंधित कार्य योजना पर विमर्श करते हुए शीघ्र ही योजना बनाने का निदेश दिया गया।
15. गया, भागलपुर, बेगुसराय के संग्रहालय भवन का जीर्णोद्धार का प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर बनाने का निदेश संबंधित सहायक संग्रहालयाध्यक्ष को दिया गया।

16. वैशाली स्थित पुराने उत्खनित स्थल एवं नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय परिसर को जोड़ने हेतु पूर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली को प्रेषित किये गये पत्र का Follow up करने का निदेश दिया गया।
17. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, वैशाली के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का क्रय करने का निदेश संग्रहालयाध्यक्ष, वैशाली को दिया गया।
18. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, वैशाली के बगल में विभाग का ढाई एकड़ की भूमि पर संग्रहालय के अधिकारियों, कर्मियों एवं 100 सुरक्षा प्रहरियों के लिए आवासन हेतु नक्शा बनाने का निदेश दिया गया।
19. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, वैशाली के सम्यक संचालन के लिए एक समिति का गठन करने का निदेश दिया गया।
20. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, वैशाली के मुख्य सड़क से संग्रहालय पहुँच पथ के दोनों तरफ भूमि अधिग्रहण करने हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली को पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

सांस्कृतिक निदेशालय

21. मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना से संबंधित आवेदन पत्र, अखबार में प्रकाशन हेतु विज्ञापन को यथाशीघ्र तैयार कर उपस्थापित करते हुए जिलाधिकारी एवं जिला कला संस्कृति पदाधिकारी को जिला स्तर पर योजना को लागू करने से संबंधित निर्देश देने हेतु पत्र के माध्यम से प्रेषित करने का निदेश दिया गया।
22. बिहार कला पुरस्कार वितरण हेतु विभाग द्वारा गठित चयन समिति के साथ बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित करने का निदेश दिया गया।
23. बिहार संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से आयोजित किए जाने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे—शुक्रगुलजार, शनिबहार, संगीत—संध्या आदि नियमित रूप से क्रियान्वित की जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पुनः आरंभ किये जाने का निदेश दिया गया।
24. बिहार महोत्सव का आयोजन राजधानी दिल्ली में किए जाने हेतु "स्कोप ऑफ वर्क" तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।
25. अटल कला भवन निर्माण हेतु शेष बचे जिलों से भी उपयुक्त भू-खण्ड का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु संबंधित जिलाधिकारी को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
26. बेगूसराय में कलाग्राम की स्थापना हेतु कंसल्टेंट/पी०एम०यू० के माध्यम से विस्तृत योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।
27. राज्य में बिहार नाट्य विद्यालय स्थापित करने हेतु संबंधित नाट्य विशेषज्ञ से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।
28. बिहार ललित कला अकादमी से संबंधित सामान्य परिषद्, संबंधन, उपनियम संबंधित वास्तविक स्थिति का आकलन कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। साथ ही बिहार ललित कला अकादमी में चाक्षुष कला से संबंधित पाठ्यक्रम को आरंभ करने हेतु संबंधन

के प्रावधान पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से समन्वय स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

29. सांस्कृतिक भवनों के जीर्णोद्धार हेतु प्राप्त प्रस्ताव यथा स्वामी विवेकानन्द कला भवन एवं रंग भवन, दानापुर, पटना पर अग्रतर कार्रवाई करने हेतु विभागीय कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता को यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(प्रणव कुमार) भा.प्र.से.

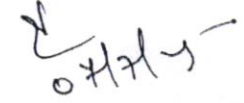
सरकार के सचिव,

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

ज्ञापांक.....1250 /

पटना, दिनांक.....07/07/2025

प्रतिलिपि:— मा० मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/कार्यपालक अभियंता/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर/परामर्शी (फिल्म)/परामर्शी (वित्त एवं लेखा), बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/पी०एम०यू० लीड/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी/आई० टी० प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(रुबी)

सरकार के संयुक्त सचिव।